


कार्यालय जनपद न्यायाधीश कासगंज।
कोटेशन -सूचना

एतद्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि जनपद न्यायालय कासगंज में न्यायिक अधिकारीगण एवं न्यायालय एवं कार्यालय में खराब कम्प्यूटर उपकरण जिनकी वारंटी समाप्त हो चुकी है उनकी मरम्मत/Replacement के सम्बन्ध में अधिकृत पंजीकृत डीलर/ फर्मों से कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं उक्त अधिकृत पंजीकृत डीलर/फर्मों को कोटेशन के लिये दी गयी शर्तों का कड़ाई से पालन करना होगा।

- 1- कोटेशन बंद लिफाफे में जनपद न्यायाधीश कासगंज के कार्यालय केन्द्रीय नजारत कासगंज में दिनांक तक (कार्यालय समय 10.00 बजे से 4.00 बजे तक) अंतिम रूप से स्वीकार किये जायेगे।
- 2-कोटेशन दिनांक 19.12.2019 को सायंकाल 4.00 बजे क्रय समिति जनपद न्यायालय कासगंज के समक्ष खोले जायेगे।
- 3- किसी भी कोटेशन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकारी माननीय जनपद न्यायाधीश कासगंज का होगा।
- 4- किसी भी कोटेशन को बिना कोई कारण बताये माननीय जनपद न्यायाधीश कासगंज द्वारा निरस्त किया जा सकता है।
- 5-कोटेशन खोलन के समय फर्म का एक प्रतिनिधि उपस्थित हो सकता है।
- 6-कोटेशन में दिये गये मूल्य के अतिरिक्त कोई भी भुगतान जैसे किराया इत्यादि अन्य कोई व्यय देय नहीं होगा।
- 7- भुगतान कम्प्यूटर उपकरणों की मरम्मत/Replacement के उपरान्त ही किया जायेगा विलम्ब होने पर कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।
- 8-कोटेशन में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायालय का छेत्राधिकार जनपद न्यायालय कासगंज में होगा।
- 9-कोटेशन खोलने के उपरान्त किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

दिनांक-11.12.2019


11/12/2019

(कृपाशंकर शर्मा)

अध्यक्ष क्रय समिति/

विशेष न्यायाधीश एससी0/एसटी0 एक्ट
कासगंज।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश कासगंज ।

खराब कम्प्यूटर उपकरणों का विवरण:-

क्र०स०	खराब उपकरण
1	लैपटॉप Lenovo E4430 का एडाप्टर
2	प्रिंटर P1008
3	सी०पी०यू०

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

01- जिला सूचना अधिकारी कासगंज का G.O. No. 562/ उन्नीस -2-2007-1007(T.C.) दिनांकित 04.07.2007 के अनुरूप समस्त स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराये जाने एवं सूचनापट पर चस्पा किये जाने हेतु।


2-18 न्यायालय कक्ष भवन जजी कासगंज के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

3-कलेक्ट्रेट कासगंज के सूचनापट पर चस्पा किये जाने हेतु।

4-समस्त सार्वजनिक स्थान कासगंज पर चस्पा करने हेतु।

✓5-नोडल अधिकारी कम्प्यूटर को जनपद न्यायालय कासगंज एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

दिनांक- 11.12.2019


(कृपाशंकर शर्मा)
अध्यक्ष क्रय समिति/
विशेष न्यायाधीश एससी०/एसटी० एक्ट
कासगंज ।